mPpre U; k; ky; Hkkjr vkijkf/kd vihyh; {ks=kf/kdkj vkijkf/kd vihy da1931@2009

चम्पा लाल धाकड

अपीलार्थी

बनाम

नवल सिंह राजपूत एवं अन्य

प्रत्यर्थीगण

fu.kt;

U; k; etirZ , e-vkj-'kkg

- 1. आपराधिक पुनरीक्षण कं 830 / 2007 में म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01. 02.2008 को पारित आक्षिप्त निर्णय एवं आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने एतिस्मन प्रत्यर्थीगण— मूल आरोपी द्वारा प्रस्तुत किया गया उक्त पुनरीक्षण आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया है, तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भा.दं.वि की धारा 307 के अंतर्गत विरचित आरोप पर पारित आदेश को अपास्त किया है, जिससे व्यथित एवं असंतुष्ट होकर मूल फरियादी ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है ।
- 2. यह कि एतिस्मिन अपीलार्थी मूल फिरयादी द्वारा भा.दं.वि की धारा 147, 148, 457, 325/149, 307/149, 294/149 तथा 506/149 के अपराध में मूल अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया । यह कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीरोंज जिला विदिशा ने सत्र विचारण कं. 197/2005 में मूल अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.वि की धारा147, 148, 457, 325/149, 307/149, 294/149 तथा 506/149 से दंडनीय अपराध में आरोप विरचित किए । यह कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीरोंज जिला विदिशा द्वारा उपरोक्त अपराधों में मूल अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप पर पारित आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया जो कि आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन कं. 830/2007 है । फिरयादी को आयी चोटों को देखते हुए तथा यह पाए जाने पर कि भा.दं.वि की धारा 307 से दंडनीय अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनता है, उच्च न्यायालय ने आक्षिप्त निर्णय एवम आदेश द्वारा उक्त पुनरीक्षण आवेदन का आंशिक रूप से स्वीकार किया है तथा भा.दं.वि की धारा 307 के अंतर्गत

विरचित आरोपों के संबंध में विद्वान अति. सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अभिखंडित एवं अपास्त किया है एवम विद्वान विचारण न्यायालय को यह निर्देशित किया है कि वह विरचित आरोपों के संबंध में अपने आदेश पर पुनर्विचार कर एवम विधि अनुसार आवश्यक कदम उठाएं । आक्षिप्त आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय की यह राय थी कि प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में एवं अभिलेखित साम्रगी पर विचार करतें हुए, विशेषकर, फरियादी को आयी चोटों पर विचार करते हुए भा.दं.वि की धारा 325 के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाना चाहिए था।

- 2.1 भा.दं.वि की धारा 307 के अतंर्गत विरचित आरोपों के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अभिखंडित एवम् अपास्त करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षिप्त निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवम् असंतुष्ट होकर मूल फरियादी ने वर्तमान आपराधिक अपील प्रस्तुत की है ।
- 3. मूल फरियादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता पूर्वक निवेदन किया है कि प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों में भा.दं.वि की धारा 307 के अतंगर्त विरचित आरोप के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विखंडित एवम् अपास्त करने में उच्च न्यायालय से प्रत्यक्ष त्रुटि हुई है।
- 3.1 एतिस्मन अपीलार्थी मूल फिरयादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढतापूर्वक निवेदन किया है कि वास्तव में लगभग 17 से 18 व्यक्तियों ने फिरयादी की हत्या के आशय से उस पर हमला किया तथा मारपीट की । अतः विचारण न्यायालय द्वारा भा.दं.वि. की धारा 307 के अंतर्गत अपराध में अभियुक्तगणों के विरूद्ध सही आरोप विरचित किया गया है । यह निवेदन है कि अतः जब विद्वान विचारण न्यायालय ने विवेक / शक्तियों का न्यायपूर्ण प्रयोग किया,तब उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करतें हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अभिखंडित एवम् अपास्त करने में त्रुटि कारित की है ।
- 4. मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है ।
- 5. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना गया । हमारे द्वारा अभिलेखित सामग्री, विशेषकर मूल फरियादी को आयी चोंटों का परिशीलन किया गया एवं उन पर विचार किया गया । अभिलेख पर आयी सामग्री/साक्ष्य पर विचार करते हुए हमारे द्वारा यह पाया गया कि फरियादी को नाक पर चोटें आयी और नाक की हड्डी में अस्थि भंग पाया गया । यह कि यह प्रकरण गंभीर उपहति की श्रेणी में आ सकता है परंतु प्रथम दृष्ट्या भी यह

नहीं कहा जा सकता कि भा.दं.वि की धारा 307 के अतंर्गत अपराध में मामला बनता है ।

भा.दं.वि की धारा 307 इस प्रकार है

307 gR; k djus dk i t, Ru % जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दिण्डत किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहित कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतिस्मनपूर्व वर्णित है।

- 6. अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री / साक्ष्य एवं चिकित्सकीय प्रमाणपत्र तथा फरियादी को आयी चोटों पर विचार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का आशय फरियादी की मृत्यु कारित करना था । अतः जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही माना गया है धारा 325 / 149 के अंतर्गत आरोप विचरित किया जाना चाहिए था। अतः जहाँ तक कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भा.दं.वि. की धारा 307 के अंतर्गत विरचित आरोप में विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, उसे अपास्त करने में उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि कारित नहीं की है । हम उच्च न्यायालय के अभिमत से पूर्णतः सहमत है ।
- 7. उपरोक्त को देखते हुए तथा उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए वर्तमान अपील विफल होते हुए निरस्त करने योग्य है एवम् तद्नुसार निरस्त की जाती है ।

न्यायमूर्ति (डी. वाय.चंद्रचूड) न्यायमूर्ति (एम.आर.शाह)

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।
